

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक एफ. 1 (357) वन/97 पार्ट

जयपुर दिनांक 6 MAR 2014

प्रेषित:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली संशोधित दरों को स्वीकृत करने बाबत।


संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ. 36(9)93/वसु/प्रमुवसं/976-ए दिनांक 6.2.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण, सेफटी जोन क्षेत्र के डेढ गुणा क्षेत्रफल के बराबर वनक्षेत्र में किये जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं सेफटी जोन की फैंसिंग एवं पुनरोत्पादन हेतु पूर्व में तय की गयी दरों में संशोधन कर निम्नानुसार दरें तय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1	गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु	129150 रु. प्रति है०
2	परिभ्रांषित वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु	108000 रु. प्रति है०
3.	सेफटीजोन की बाडबन्दी	21865 प्रति 100 रनिंग मीटर
	1. बाहरी बाडबन्दी	21603 प्रति 100 रनिंग मीटर
	2. भीतरी बाडबन्दी	
4	सेफटी जोन क्षेत्र का पुनरोत्पादन	49650 प्रति है०

उक्त वर्णित दरें दिनांक 29.04.2013 से प्रभावी होंगी।



भवदीय,

(सी०एस० रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन/सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, खान/ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, अरावली भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

शासन सचिव